भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3024
(दिनांक 20 मार्च, 2023, सोमवार/29 फाल्गुन, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर)

उपकर एकत्रीकरण और राजस्व का आबंटन

+3024. श्री राजन विचारे:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान एकत्र किए गए विभिन्न प्रकार के उपकर और उनकी संबंधित वसूली का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का एकत्रित उपकर को संबंधित विभागों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए आबंटित करने का विचार है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या सरकार द्वारा उपकर राशि का विभिन्न प्रयोजनों के लिए कुशल उपयोग के लिए प्रभावी उपाय किए गए हैं जिसके लिए इसे जनता से एकत्र किया गया है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) : पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एकत्र किए गए/वसूल किए गए प्रमुख उपकर का विवरण **अनुबंध 'क'** में दिया गया है।

(ख)और (ग): विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से प्रमुख समर्पित आरक्षित निधियों के माध्यम से उपयोग की गई निधियों का विवरण **अनुबंध 'ख'** में दिया गया है।

(घ): सरकार के विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपकर लगाया जाता है। सरकार, संसदीय कानून द्वारा अधिकृत उचित विनियोग के बाद लोक खाते में रखे गए उपकर को विभिन्न समर्पित आरक्षित निधियों में हस्तांतरण कर रही है। पिछले वर्षों में विभिन्न उपकरों की प्राप्तियों और उपयोग को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार के अपने संसाधनों और उधारी से कमी को पूरा करने के लिए, यदि कोई है, आरक्षित निधियों में अतिरिक्त हस्तांतरण भी किया जाता है।

*****

अनुबंध 'क'

(i) वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 तक, एकत्र किए गए/वसूल किए गए प्रमुख उपकरों का विवरण।

(करोड़ रुपये में)

क्रम. सं.	शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22
उपकर परिचालन में हैं				
1	प्राथमिक और शिक्षा उपकर (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर समाप्त)	81.48	61.85	15.44
2	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर समाप्त)	27.97	11.42	2.50
3	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर, (प्राथमिक शिक्षा उपकर, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर के विलय के बाद 2018-19 के लिए बजट से शुरू किया गया)	39131.09	35821.54	52732.33
4	जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर	95490.02	85105.64	104768.66
5	मोटर स्पिरिट पेट्रोल) पर अतिरिक्त उत्पाद) शुल्क*	14381.86	26895.29	26565.25
6	हाई स्पीड डीज़ल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क*	40668.72	85289.24	61820.95
7	सड़क और अवसंरचना उपकर*	67373.64	123596.45	107600.76
8	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर समाप्त)	2380.44	5098.81	6138.30
9	कच्चे तेल पर उपकर	14062.48	10894.44	19353.84
10	निर्यात पर उपकर	5759.14	9214.64	1457.10
11	कृषि अवसंरचना और विकास उपकर	...	...	76950.68
12	स्वास्थ्य उपकर	...	-13.52	31.02
13	स्वच्छ भारत उपकर	46.63	17.34	9.63

** पेट्रोल और एचएसडी पर उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क को 2017-18 के बजट से पहले के केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 में केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि अधिनियम, 2000 में संशोधन के माध्यम से 'सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर' में परिवर्तित किया गया था।*

अनुबंध 'ख'

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रमुख समर्पित आरक्षित निधियों के माध्यम से उपयोग की गई निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**कोष फंड) का नाम)**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
1	प्रारंभिक शिक्षा कोष	26848.35	30168.34	31788.25
2	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष*	14460.25	20567.12	25000.00
3	जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष	153910.29	106317.00	110795.00
4	केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढाँचा निधि	90252.40	182363.47	251738.38
5	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष	2480.00	5820.00	6134.60
6	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि*	--	20000.00	21498.72

* सार्वजनिक खाते में आरक्षित निधि, मौजूदा वित्तीय वर्ष से चालू होने की उम्मीद है। प्रत्येक वर्ष संशोधित अनुमानों में किए गए आबंटन दर्शाए गए हैं।